फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

शैतान सिंह ..... बनाम प्रताप सिह व अन्य .....

किस्म मुकदमा 212 मुकदमा नम्बर 4/2014.....सन .....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09.1.2020	पत्राावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित । पेरोकार सरकार ने निवेदन किया गया कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुति कि दिनांक के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक, 17.12.2014, 22.3.2017, 27.3.2019, 31.7.2019, 18.9.2019,,को अप्रार्थी 2 व 4 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नही किए गए है । साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 के फौत होने बाबत किसी प्रकार से आगामी कार्यवाही नही की गई। तदपश्चात 20.112019, को अन्तिम अवसर दिए जाने पर भी नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को आदेशित किया गया के उपरान्त भी प्रस्तुत नही किए जाने पर दिनांक 17.12.2014, 22.3.2017, 27.3.2019, 31.7.2019, 18.9.2019,, को आदेशित किया गया कि अप्रार्थी की के नोटिस पेश करने हेतु बार बार आदेशित किए जाने के उपरान्त पालना नही किए जाने के कारण पुनः पालना हेतु निदेशित किया गया इसके बावजूद भी प्रार्थी /प्रार्थी अधिवक्ता को दिनांक 17.12.2014, 22.3.2017, 27.3.2019, 31.7.2019, 18.9.2019,,20.11.2019 को अन्तिम अवसर दिये जाने पर भी आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय पेरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 17.12.2014, 22.3.2017, 27.3.2019, 31.7.2019, 18.9.2019, की प्रभावी आदेशिका दिनांक 20.11.2019 के बावजूद कई अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकृट होना प्रतीत होती है इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत वादी अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत/ अप्रार्थी संख्या 1 के फौत हो जाने से कोई कार्यवाही नही किए जाने से प्रार्थना पत्र उपसम्मित हो जाने से निरस्त कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी अजमेर	

Scanned by CamScanner